



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 10, 2016/माघ 21, 1937

No. 94] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 2016/MAGHA 21, 1937

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2016

सा. का.नि. 159(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग (समूह 'क') सेवा नियमावली, 1989 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1.(1) इन नियमों का नाम भारतीय सर्वेक्षण विभाग (समूह 'क') सेवा (संशोधन) नियम 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय सर्वेक्षण विभाग (समूह 'क') सेवा नियमावली, 1989 में अनुसूची-II के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

"अनुसूची-II**[नियम 2(2) (ब) और (ट), 3(3), 5 (1) और 8 देखें]****भारतीय सर्वेक्षण विभाग समूह 'क' सेवा (सिविलियन स्ट्रीम)**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ समयमान (उप अधीक्षक सर्वेक्षक)	42* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3 (रु. 15600-39100) रु. + ग्रेड वेतन रु. 5400	लागू नहीं होता	भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के वर्ष, की 1 जनवरी को 21 और 30 वर्ष के बीच अथवा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथा विज्ञापित। (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अथवा आदेश के अनुसार केवल विभागीय अभ्यर्थियों को पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य बर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक बर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आग्लेन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
(क) किसी केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा निर्गमित विश्वविद्यालय अथवा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी अन्य शैक्षणिक संस्था अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन घोषित मानित विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में स्नातक ; या (ख) इंजीनियरों की संस्था (भारत) की संस्थागत परीक्षा के खंड क और ख (सिविल इंजीनियरी) में उत्तीर्ण;	लागू नहीं होता	दो वर्ष	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के आधार पर सीधे भर्ती

या (ग) ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय अथवा संस्था से इंजीनियरी में डिग्री अथवा डिप्लोमा और ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ मान्यता दी जा सकती है और इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथा विहित ऐसी अन्य अर्हताएं। टिप्पणी-भारतीय सर्वेक्षण विभाग की समूह 'क' सेवा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा की श्रेणी-I-सिविल इंजीनियरिंग में सूचीबद्ध होगी।			
--	--	--	--

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	विभागीय पृष्टिकरण समिति (पृष्टिकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- 1. - भारत के महासर्वेक्षक -अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग -सदस्य 3. संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय -सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है।

नोट : मूल नियमों को दिनांक 26 मई, 1989 की अधिसूचना सं. सा. का.नि. 437 के माध्यम से भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया तथा दिनांक 12 नवम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 264 के माध्यम से अंततः संशोधित किया गया।

[फा. सं.-एसएम/01/09/2011]]

अनीता चौहान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(Department of Science and Technology)
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2016

G.S.R. 159(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Survey of India (Group 'A') Service Rules, 1989, namely:-

- 1.(1) These rules may be called the Survey of India (Group 'A') Service (Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Survey of India (Group 'A') Service Rules, 1989, for Schedule II, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“SCHEDULE II

[See rules 2(2)(f) and (k), 3(3), 5(1) and rule 8]

SURVEY OF INDIA GROUP 'A' SERVICE (CIVILIAN STREAM)

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Time Scale (Deputy Superintending Surveyor)	42* (2016) *Subject to variation dependent on work load.	Central Civil Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Pay band-3, Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.5400	Not applicable	Between 21 and 30 years as on the 1 st January of the year of Indian Engineering Service Examination or as advertised by Union Public Service Commission. (Relaxable for Departmental candidates only up to five years in accordance with the instructions or order issued by the Government from time to time.)

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
(A) Degree in Engineering from a University incorporated by any Central Act or State Act or any other educational institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or (B) Pass in Section A and B (Civil Engineering) of the Institution examinations of the Institution of Engineers (India); or (C) Degree or Diploma in Engineering from such Foreign University or College or Institution and under such conditions as may be recognised by the Central Government for the purpose and such other qualifications as prescribed by Union Public Service Commission for Engineering Services Examination.	Not applicable	Two years	Direct recruitment on the basis of the Engineering Services Examination held by Union Public Service Commission.

Note:- Survey of India Group 'A' Service should be listed in the Category I – Civil Engineering in Engineering Service Examination conducted by the Union Public Service Commission.			
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee (For considering confirmation) consisting of:- (1) Surveyor General of India - Chairman (2) Joint Secretary, Department of Science and Technology - Member (3) Joint Secretary, Ministry of Defence - Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion".

Note:-The principal rules were published in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-Section (i) vide notification number G.S.R. 437 dated the 26th May, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R. 264 dated the 12th November, 2013.

[F. No. SM/01/09/2011]

ANITA CHAUHAN, Jt. Secy.